



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

**वर्ग अनुमोदन सं.: 911 का संशोधन सहित नवीकरण/
Amendment - cum Renewal of Type Approval No.: 911**

**विषय / Sub: कार्टीज रीकोकिंग डेफा – 312के/92
Cartridge Recocking Defa - 312K/92**

यह घोषित किया जाता है कि आरममेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टाब्लिशमेंट (ए आर डीई), डी आर डी ओ, आर्ममेंट पी.ओ, पाषाण, पुणे- 411 021, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " कार्टीज रीकोकिंग डेफा" पार्ट सं. 312के/92, को संदर्भ सं. सेमिलैक/एफ-162/5070/टीए-911, दिनांक 11 मई 2001, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 911 जारी किया गया था। यह अनुमोदन तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-911/2आर, दिनांक 07 जून 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2018 तक थी।

This is to state that the "Cartridge Recocking DEFA" bearing Part No.: 312K/92 designed, developed and manufactured by Armament Research & Development Establishment (ARDE), Armament Post, Pashan, Pune - 411 021 was issued with Type Approval No.: 911, vide Reference No.: CEMILAC/F-162/5070/TA-911, dated: 11th May 2001. This approval was subsequently renewed vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-911/2R, dated: 07th June 2013 with validity up to 30th June 2018.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 सितंबर 2018 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 अगस्त 2023 तक वैध है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (एए), पुणे – 411 201 से अनुरोध करना होगा।

पृष्ठ/Page 01 of 02

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st September 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st August 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (AA), Pune - 411 021, three (03) months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including user's performance feedback, quantity produced & rejection, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-911, दिनांक 11 मई 2001 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच(05)में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/F-162/5070/TA-911, dated: 11th May 2001 is amended as stated herewith:

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु- 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru -560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”



4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remains unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA-911/3R

दिनांक / Date 24 September 2018

फैक्ससं /Fax No: 080-25230856



पी . जयपाल/ P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)